यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
सीमा खेतान (आरटीएस)
दिनांक–5.4.19

मि.न.– 76/2019

सरकार बनाम रामनिवास

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पुरूषोतमपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम बेरी तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1448/1.30है0 किस्म बारानी सिवायचक में से 0.15 है0 पर रामनिवास पुत्र शंकर जाति अहीर निवासी बेरी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने गेंहूँ कास्त कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आये । लिहाजा गैरसायल के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है। हमने पत्रावली में संलग्न दस्तावेज ,पटवारी रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि वाके ग्राम बेरी के खसरा नंबर 1448/1..30 किस्म जमीन बारानी सिवायचक पर गैर सायलान का अतिक्रमण स्वतः ही सिद्व होता है। जिसके विरूद्व अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः गैर सायल रामनिवास पुत्र शंकर जाति अहीर निवासी बेरी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम बेरी के खसरा नंबर 1448/1.30 किस्म जमीन बारानी सिवायचक में से 0.15 है0 पर अतिक्रमि घोषित किया जाकर अतिक्रमि को उक्त आराजीयात पर बोई गई फसल गैंहूँ को निलाम कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 1.20रूका पचास गुणा 60 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

के पृष्ठ संख्या ... पर ...
रुपये ... किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपुतली

तहसीलदार
कोटपूतली (जय

निर्णयानुसार बेदखली,फसलनिलामी पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पटवार हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 5.4.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जय